



कार्यालय निदेशक/उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179

E-mail- dfonandadevi@gmail.com

पत्रांक- 143 /12-1,

, जोशीमठ, दिनांक, 11-07-2019.

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन,
विकास एवं निर्माण निगम,
गोपेश्वर।

विषय:- विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UK/WATER/26619/2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08वी/यू०सी०पी०/०९/६४/२०१८/एफ०सी०/४६९ दिनांक २९-०५-२०१९।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में विषयांकित प्रकरण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि की एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का डिमाण्ड नोट निम्नप्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

1- एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण-

ईको क्लास-	Vllth
हरियाली का घनत्व-	0.2
एन०पी०वी० की दर-	रु० 699000.00
हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल-	1.149 है०
एन०पी०वी० की धनराशि-	1.149 X 699000.00
	=रु० 8,03,151.00
	(रु० आठ लाख तीन हजार एक सौ इक्यावन मात्र)

2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों तक रख-रखाव सहित कुल धनराशि-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	= 2 X 1.149 = 2.30 है०
वृक्षारोपण की दर प्रति है०	=रु० 3,06,531.00
वृक्षारोपण की कुल धनराशि	=2.30X 306531.00=705021.3 या = 7,05,021.00
	(रु० सात लाख पाँच हजार इक्कीस मात्र)

कुल योग(1+2)

= 15,08,172.00
(रु० पन्द्रह लाख आठ हजार एक सौ अहत्तर मात्र)

भवदीय

(किशन चन्द),

निदेशक/उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।